राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	2262 / 2024	नरपत सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. जिला परिषद जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गंगानगर, राज.। 3. विकास अधिकारी जरिये पंचायत समिति, श्रीगंगानगर।
2.	2263 / 2024	रमेश कुमार	
3.	2264 / 2024	उमराव दान	

आदेश की दिनांक : 04.09.2024

<u>उपस्थित :-</u>

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री तुसार पंवार एवं श्री मुकुल राव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 2262 / 2024 नरपत सिंह बनाम राजस्थान राज्य की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उपरोक्त टेबिल में अंकित अपीलों को इस एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

2. अपील संख्या 2262 / 2024 में अपीलार्थी नरपत सिंह के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर कार्यरत है। अपीलार्थी ने इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.01.2018 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को नियमित कर्मचारी न होना मानते हुए नियमित कर्मचारियों की भांति आकस्मिक अवकाश, क्षतिपूर्ति अवकाश एवं अन्य अवकाश देय नहीं होना माना है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को चुंगी नाकेदार के पद पर नियुक्त किया गया था। वर्तमान में अपीलार्थी सहायक कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है। अपीलार्थी 30 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है। अपीलार्थी की सेवा की अवधि पर विचार करते हुए प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को न्यूनतम वेतनमान देने का आदेश दिनांक 13.09.2017 (अनुलग्नक–2) जारी किया और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.09.2017 (अनुलग्नक–3) के द्वारा कार्यमुक्त कर अपनी उपस्थिति नव पदस्थापन स्थान पंचायत समिति विजयनगर में देने के

निर्देश दिये। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अलग–अलग तिथियों में आदेश पारित किये गये। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 13.09.2017 द्वारा अपीलार्थियों के वेतन से नियमित कर्मचारियों की भांति कोई भी राशि नहीं काटने का आदेश जारी किया। अपीलार्थी दिनांक 14.05.1992 से पहले संबंधित ग्राम पंचायत चुंगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। दिनांक 01.08.1998 से राज्य सरकार ने चुंगी को समाप्त कर दिया और दसवीं कक्षा की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को ग्राम पंचायत के पदेन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और शेष कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में समायोजित किया गया। राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतनमान नहीं बल्कि उन्हें नियमित करने के आदेश जारी किये हैं। अपीलार्थी को कोई वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि नहीं दी गई और पेंशन योजना के लिए उनकी कटौती नहीं की गई। न्यूनतम वेतनमान देने के आदेश पारित करने से पहले राज्य सरकार ने 10 वर्ष से अधिक की सेवा वाले सभी उम्मीदवारों की जानकारी भी मांगी थी और अतिरिक्त आयुक्त द्वारा 27.12.2016 (अनुलग्नक–4) द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि 589 चुंगी कर्मचारियों के लिए आवास बनाया जाना है, जिनके पास कक्षा–5 की योग्यता है, जिसके लिए संबंधित जिला परिषद से प्रस्ताव देने को कहा गया है। उसके बाद आदेश दिनांक 02.02.2017 (अनुलग्नक–5) जारी किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को न्यूनतम वेतनमान देने के क्रम में नियमित वेतनमान नहीं दिया गया। अपीलार्थी द्वारा पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से प्रदान की गई सेवाओं पर विचार नहीं किया गया और उन्हें प्रारम्भिक सेवा से या कम से कम दिनांक 01.08.1998 से न्यूनतम वेतनमान के रूप में मिलने वाले वेतन से वंचित किया जा रहा है। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 08.01.2018 को एक परिपत्र जारी किया है जिसके द्वारा अपीलार्थी को दी जा रही छुट्टियाँ आदि और अन्य लाभ वापस लेने का आदेश दिया गया है। इसी तरह का विवाद माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट संख्या 11509/2011 लाला राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में न्याय निर्णय दिनांक 21.01.2021 (अनुलग्नक–6) के फैसले द्वारा (Covered) आवृत्त किया गया है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के निर्णय से व्यथित हैं, जिसमें कोई वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर शामिल होने के बाद भी न्यूनतम वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है एवं साथ ही नियमित

कर्मचारियों की भांति आकस्मिक अवकाश, क्षतिपूर्ति अवकाश एवं अन्य अवकाश देय नहीं दिये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.01.2018 को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की सेवा की गणना दिनांक 01.08.1998 करते हुए सेवा संबंधित लाभ परिलाभ मय एरियर का भुगतान अपीलार्थी को किए जाने हेतु प्रत्यर्थीगण को आदेशित किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चुंगी अधिशेष के रूप में पंचायत समिति विजयनगर में हुई थी। वर्ष 1998 में चुंगी समाप्त होने के पश्चात चुंगी संग्रहण में लगे सभी अधिशेष कार्मिकों को शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में बिना वार्षिक वेतन वृद्धि दिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को देय वेतनमान का न्यूनतम वेतन भत्ते दिए जाने हेतु नियुक्ति प्रदान की गई। इसके उपरान्त समस्त अपीलार्थीगण समस्त वेतन भत्तों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 27.12.2016 को जारी की गई थी, जिसमें 10 वर्ष से अधिक की सेवा वाले सभी उम्मीदवारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित रखे जाने का प्रावधान रखा गया परन्तु उक्त विज्ञप्ति का लाभ नहीं दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6469/2020 कन्हैया लाल नाई बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 द्वारा अधिशेष कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए गए है, जिसका प्रासंगिक अंश निम्न प्रकार हैः–

> "A co-ordinate Bench of this Court while adjudicating similar controversy in the case of **Lala Ram Saini v the State of Rajasthan and Ors. S.B. CWP No.11509/2011**, held as follows:
>
> "This Court vide order dated 29.04.2013 allowed the petitioner to amend his prayer clause and as per his application for amendment, he had sought that he may be regularized on the post of Class-IV. It is an admitted position that the State Government has issued a notification on 27.02.2009 directing for regularizing of all the employees who were working as Class-IV on similar post on temporary basis or even those who were appointed on irregular basis.

This Court in the case of Magan lal Damore Versus State of Rajasthan: SBCWP NO.6038/2013 decided on 09.08.2016 examined the similar controversy in the light of the circular of the State Government and found that such cases where regularization is rejected of employees working on temporary basis for more than 10 years long time were unjustified. In the said case, the order of rejecting prayer for regularization by the Government was quashed and set aside and directions were given to regularize the petitioner's services in the light of the circular dated 27.02.2009 upon having completed 10 years of uninterrupted service.

I have thoughtfully considered the facts of the present case and finds that the petitioner, admittedly as per the reply of the respondents, was working since 02.03.1983 as Bagwan (Gardner) (3 of 3) [CW-11509/2011] with the Panchayat Samiti and therefore, he can be said to have completed uninterrupted service from 1983 all throughout till he attained superannuation on 31.07.2020. Having rendered almost 37 years of service with the respondents, one cannot say that the service was on temporary basis. Such long service has to be treated as substantive service and the petitioner will be deemed to have been regularized in the light of the circular issued by the State Government. Any action on the part of the State or its authorities cannot deprive of person for claiming substantive right for the service which he has rendered with them. It is also noticed that he has been appointed vide order dated 24.9.1982 by Gram Panchayat, Bansur to work as a Bagwan (Gardner) as there is an appointment order and continuity of service.

This court directs the respondents to treat the petitioner as regularly appointed Class-IV employee and further directs to release the petitioner's pension and retiral benefits treating him as Class-IV employee on substantive basis from 1983 up till date of retirement. The consequential benefits arising out of the above order shall also be released. The exercise shall be completed within a period of three months."

In the light of the aforequoted precedent judgment and pecuilar facts and circumstances of the case the respondents are directed to regularise services of the petitioner from the date of initial appointment as a class-IV employee. Further, respondents are directed to release the pension and other retiral benefits in favour of the petitioner with all consequential benefits. However, it is made clear that the petitioner

shall not be entitled to claim any arrears of pay as a consequence of pay-fixation in the pay-scale applicable for class-IV employees.

In the result, the writ petition is allowed.

No order as to costs."

5. अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर न्यूनतम वेतन प्राप्त कर रहा है और उसे नियमित किए जाने के संबंध में कोई कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गई। चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को नियमित करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में समस्त व्यक्तियों को नियमित किए जाने के आदेश पारित किए गए है। अतः समस्त अपीले स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6469/2020 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2022 में माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को जो लाभ प्रदान किया गया, उसी प्रकार का लाभ वर्तमान प्रकरणों के अपीलार्थीगण को राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 27.12.2016 को ध्यान में रखते हुए दिए जावे।

6. मूल आदेश को अपील संख्या 2262/2024 में एवं इसकी छायाप्रति उपरोक्त तालिका में अंकित अन्य दोनों अपीलों में संलग्न की जावें।

(शुचि शर्मा) सदस्य	(अनन्त भंडारी) सदस्य (न्यायिक)